

अंचल अाधिकारी का कार्यवाह वाधमाप

आदेश क्रम

मापी अभिलेख सेठ 22/15-16  
 आवेदक - श्रीमती कमला देवी  
 पति - स्व. वंसन्त साव  
 साठ - सिनीडीह  
 जिला - धनबाद

(5)



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
14/3/15	<p>अपर समाहर्ता धनबाद के पत्रांक 1883/210 दिनांक 8.6.15 के हाट श्रीमती कमला देवी साठ सिनीडीह मौजा नं 295 खाता नं 6 प्लॉट नं 238 रकबा 3 1/2 भूमि सीमांकन कर जौच प्रतिवेदन मोगा की गई उक्त आवेदन पत्र पर हज्जा कर्नलारी एवं अंत मिलीसक का जौच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मता प्रतिवेदित किया गया है डि-मौजा - सिनीडीह मौजा नं 295 खाता नं 6 प्लॉट नं 238 रकबा 1 3/4 डी. गत सर्वे रैपती खाते की भूमि है। पंजी II के जमावटी संख्या 238 में खाता नं 6 प्लॉट नं 238 रकबा 1 3/4 डी. श्रीमती कमला देवी के नाम से अधारत है।</p> <p>अतः हज्जा कर्नलारी एवं अंचल मिलीसक के जौच प्रतिवेदन के आधार पर आदेश से एक दिन का मापी शुल्क जमा करने के पश्चात अंचल कमीन को प्रतिभियुक्त है।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी वाधमाप</p>	
22.9.15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया गया है डि-मौजा - सिनीडीह मौजा नं 295 खाता नं 6 प्लॉट नं 238 रकबा 1 3/4 डी. भूमि मापी के समय स्वाम पर आवेदिका श्रीमती कमला देवी पति - स्व. साव लक्ष्मण कुमार के अभाव में अन्य श्राद्धी उपस्थित थे। मापी के क्रम में पाया गया है डि- आवेदिका कमला देवी हाट कमीन के अनुसार 5.24 डी. कृष क्षेत्र हैं। जो नक्शा के अनुसार 76x30 वर्ग फिट था। अपने कमीन</p>	



न० 6076 दिनांक 18.9.93 में से श्रीमती कमला देवी पति -  
 वसन्त साव द्वारा श्रीमती सरोज देवी पति - श्री रामानन्द  
 प्रसाद को 3 1/2 डी० बिक्री किया जो 76x20.06 होना  
 चाहिए लेकिन क्रेता द्वारा वर्तमान में 76x22-6" वर्ग फुट  
 है। लेकिन क्रेता द्वारा पीछे नामा छोड़ देने के कारण  
 3 1/2 डी० पर मकान है। स्थल पर प्रतिपल श्रीमती  
 सरोज देवी द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाया गया है।  
 तथा आवेदिका कमला देवी के द्वारा कृप एवं बिक्री  
 के कागजात को देखकर मैंने प्राप्ति किया। प्राप्ति के  
 समय स्थल पर कोई विवाद नहीं हुआ।

अतः इस अभिलेख की कार्रवाई हमारे  
 की जाती है।

अंशम अधिकारी  
 का.प्र.प्र.

(Faint, mostly illegible text, possibly a signature or official stamp area)